422

खरीफ खरीद नीति 2014–15
संख्या 278/14–XIX-2/खरीफ–खरीद/02 खाद्य/2014

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– जिलाधिकारी,
ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/नैनीताल।

3– संभागीय खाद्य नियंत्रक,
गढवाल संभाग, देहरादून/
कुमायूँ संभाग, हल्द्वानी।

4– महाप्रबन्धक,
भारतीय खाद्य निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– निदेशक,
मण्डी परिषद,उत्तराखण्ड,
रूद्रपुर।

6– प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन
संघ लि0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादून, दिनाँक 29 सितम्बर, 2014**

विषयः खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से धान का क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0 8–1/2014–एस.एण्ड.आई. दिनांक 01.09.2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गुण विनिर्दिष्टियों के आधार पर खाद्यायुक्त के पत्र सं0 353/आ0वि0शा0/खरीफ– खरीद/2014–15 दिनांक 24.09.2014 के द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2014–15 में कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान की खरीद नीति के प्रस्तावित मॉडल ड्राफ्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 में दिनांक 01.10.2014 से निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान कच्चा आढतिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से कय किया जायेगा। धान की खरीद हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु समय सारिणी, शासनादेश संख्या 258/14–XIX-2/02 खाद्य/2014, दिनाँक 18.09.2014 द्वारा जारी की जा चुकी है। जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2 (1) **धान का मूल्य एवं गुण–विनिर्दिष्टियाँ** :–

खरीफ खरीद सत्र 2014–2015 के लिए विभिन्न श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (क्रय मूल्य) भारत सरकार के पत्र संख्या–4(9)/2013–पी0वाई0–II, दिनांक 11 जुलाई, 2014 द्वारा निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

धान श्रेणी	मूल्य रूपये प्रति कुन्टल
कामन	1360.00
श्रेणी "ए"	1400.00

2 (2) उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली के पत्र संख्या –8–1/2014–एस.एण्ड.–आई. दिनाँक 01 अगस्त, 2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 के लिये धान क्रय हेतु निम्नवत् गुण–विनिर्दिष्टियाँ निर्धारित की गयी है। धान ठोस, बिक्री योग्य, सूखी, साफ, सम्पूर्ण और आहार सम्पूर्णता से समृद्ध, रंग और आकार में एक समान होगा और फफूंदी, घुनों, दुर्गन्ध, आर्जिमोन मेक्सीकाना, लेथिरस सेटिवस, (खेसरी) एवं विषाक्त तत्वों के सम्मिश्रण से मुक्त होगा। हानिकारक पदार्थो के अधिमिश्रण या रगं कारकों से मुक्त होगा। धान का वर्गीकरण ग्रेड–"ए" और साधारण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

विनिर्दिष्टियों की अनुसूची:–

क्रम सं0	अपवर्तन	अधिकतम सीमा (प्रतिशत में)
1	विजातीय तत्व :–	
	(क) अकार्बनिक	1.0
	(ख) कार्बनिक	1.0
2	क्षतिग्रस्त, बदरंग, अकुंरित और घुने हुये दाने	5.0*
3	अपरिपक्व, सिकुडे और कुम्हलाये हुये दाने	3.0
4	निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण	6.0
5	नमी तत्व	17.0

*क्षतिग्रस्त, अकुंरित और घुने हुये दाने 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए ।

टिप्पणी:–

1– उपर्युक्त अपवर्तनों की परिभाषा और विश्लेषण की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "खाद्यान्नों का विश्लेषण करने की विधि" संख्या आई0एस0–4333 (भाग–1) 1996, आई0एस0– 4333भाग (2),2002 और खाद्यान्नों की शब्दावली आई0एस0–2813–1995 में दी गई विधि के अनुसार किया जायेगा।

2– नमूना लेने की विधि का अनुसरण समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय मानक ब्यूरो की "अनाजों और दालों के नमूने लेने की विधि" संख्या आईएस0 14818–2000 के अनुसार किया जायेगा।

3– कार्बनिक विजातीय तत्वों के लिये 1.0 प्रतिशत की समूची सीमा के अन्दर रहते हुये विषाक्त बीज 0.5 प्रतिशत से अधिक नही होंगे, जिसमें से धतूरे और अकरा के बीज (विसिया प्रजातियां) कमशः 0.025 प्रतिशत और 0.2 प्रतिशत से अधिक नही होंगे।

3–धान का क्रय :–

शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में प्रदेश में धान का क्रय कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) के माध्यम से भी किया जायेगा, जो कि खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के सब एजेन्ट के रूप में कार्य करेंगे। खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा उपरोक्त निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप 50 किग्रा0 भर्ती के नये एस0बी0टी0 में किया जायेगा। खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत **2,45,000 मी0टन** धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

राज्य सरकार द्वारा नामित क्रय संस्थाओं (सहकारिता विभाग एवम् खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग) द्वारा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 55,000 मी0टन धान क्रय की पूर्ति न होने पर अवशेष धान की मात्रा का क्रय कच्चा आढतिया के माध्यम से कराने का निर्णय आयुक्त,खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा धान खरीद की सम्भागवार समीक्षा उपरान्त शासन के अनुमोदन उपरान्त लिया जायेगा ।

शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों द्वारा अपनी उपज का विक्रय हेतु लाया गया धान सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में पंजीकृत/अधिकृत कच्चा आढतिया के माध्यम से केन्द्र प्रभारी वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/ विपणन निरीक्षक द्वारा क्रय किया जायेगा ।

4– कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान खरीद की व्यवस्था :–

1. खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उन्हीं कच्चा आढ़तियों के माध्यम से धान का क्रय किया जायेगा, जिन्हे मण्डी समिति द्वारा खाद्यान्न व्यापार करने हेतु कमीशन एजेन्ट का वैध लाईसैंस प्रदत्त किया गया हो।

2. मण्डी समिति द्वारा लाईसेन्स प्रदत्त कच्चा आढ़तिया (कमीशन एजेन्ट) को सम्बन्धित सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा । पंजीकृत होने उपरान्त ही उन्हें धान खरीद हेतु खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के सब–ऐजेन्ट के रूप में अधिकृत किया जायेगा। इस हेतु कच्चा आढ़तियों को केन्द्रवार एक कोड नम्बर भी आवंटित किया जायेगा।

पंजीकरण के समय प्रत्येक कच्चा आढतिया द्वारा धनराशि रूपये 1.00 लाख (एक लाख मात्र) की एफ0डी0आर0 जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी ।

3. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से धान का क्रय भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा

के माध्यम से किया जायेगा। कच्चा आढ़तिया को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 के लिए धान कामन/धान ग्रेड–ए हेतु घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का एक प्रतिशत (01%) कमीशन देय होगा।

4. कच्चा आढ़तिया के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत धान का क्रय दिनाँक **01–10–2014** से प्रारम्भ कर दिनाँक **31–01–2015** तक किया जा सकेगा। दीपावली, ईदउल जुहा, 25 दिसम्बर, एवम् गणतंत्र दिवस के सार्वजनिक अवकाश के दिनों में मण्डियों में कच्चा आढ़तिया से धान का क्रय नहीं किया जायेगा।

5– <u>धान खरीद की प्रक्रिया</u> :–

1. उत्तराखण्ड की मण्डियों में कृषकों द्वारा मण्डी परिसर में लाये गये धान की सम्बन्धित मण्डी के सचिव तथा खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक तथा मण्डी में उपस्थित व्यापारियों के समक्ष खुली बोली लगायी जायेगी। यदि धान की अधिकतम बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक आती है तो उस धान को खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नहीं खरीदा जायेगा, किन्तु बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम प्राप्त होती है तो धान निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होने पर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करा लिया जायेगा।

2. मण्डी समिति नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी तथा मण्डियों में प्रतिस्पर्धापूर्ण ढंग से धान की नीलामी की व्यवस्था कराना भी सुनिश्चित करेगी। नीलामी के समय खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगें। यदि सरकारी क्रय एजेंसी द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाये जाने के उद्देश्य से नीलामी में भाग नही लिया जाता है, तो फर्द नीलामी में सम्बन्धित क्रय एजेन्सी के प्रतिनिधि द्वारा भाग न लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। फर्द नीलामी पर मण्डी समिति के कर्मचारियों के अतिरिक्त कृषकों एवं व्यापारियों के भी हस्ताक्षर कराये जायेगें तदनुसार सरकारी एजेन्सी के दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

3. मण्डियों में कृषकों को उनकी उपज का धान उतारने, धान की सफाई–छनाई आदि की सुविधायें उपलब्ध कराने का दायित्व कच्चा आढतिया का होगा । इसके लिये उसके द्वारा मण्डी समिति की निर्धारित दरों पर कृषकों से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। यदि कृषक द्वारा उक्त समस्त कार्य स्वयँ ही सम्पन्न किया जाता है तथा कच्चा आढ़तिया की सेवायें नहीं ली जाती हैं तो कृषक को उक्त भुगतान देय नहीं होगा।

4.कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का संचरण/कुटाई सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल में करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

4(1)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा केन्द्रों पर क्रय किये धान की कुटाई का कार्य अपने कार्यालय में पंजीकृत चावल मिलों से उनकी कुटाई क्षमता एवम् साख के आधार आवटिंत किया जायेगा ।

4(2)–सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा कच्चा आढतिया के माध्यम से केन्द्रवार धान क्रय का केन्द्रवार लक्ष्य भी निर्धारित किया जायेगा । इस हेतु कुमॉयू

सम्भाग के लिए 1,95,000 मी0टन तथा गढवाल सम्भाग के लिए 50,000 मी0टन धान क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ।

4(3)–सम्बन्धित क्रय केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय धान भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों का होने पर तथा गुणवत्ता/वजन से संतुष्ट होने के उपरान्त ही सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट चावल मिल हेतु मूवमैण्ट चालान निर्गत किया जायेगा।

4(4)–निर्दिष्ट चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर क्रय/संग्रहित धान की मात्रा वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक से धान की गुणवत्ता, वजन तथा बोरों की गुणवत्ता से पूर्णतः संतुष्ट होने उपरान्त ही प्राप्त किया जायेगा । इस सम्बन्ध में मूवमैन्ट चालान पर ही स्पष्ट अंकन करते हुये चावल मिलर द्वारा प्राप्ति दी जायेगी ।

4(5)–चावल मिलर द्वारा क्रय केन्द्र पर धान/बोरों/वजन की संतुष्टि उपरान्त मिल तक धान का परिवहन स्वयँ कराना होगा। धान प्राप्त करने के उपरान्त उसके मिल परिसर तक परिवहन तथा मिल में पहुँचने के पश्चात उसके निस्तारण तक धान के वजन, गुणवत्ता एवम् सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी प्राप्तकर्ता चावल मिलर की होगी।

4(6)–जिन चावल मिलों द्वारा गत वर्षों का कस्टम मिल्ड चावल,धान तथा विभागीय बोरे विभाग को वापस न किये गये हों ऐसे चावल मिलर्स को धान तब तक कुटाई हेतु नहीं दिया जायेगा जब तक कि उनके द्वारा गत वर्षों का समस्त बकाया सी0एम0आर0/बोरे विभाग को वापस न कर दिये जॉय ।

4(7)–न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान की कुटाई उन्हीं इच्छुक चावल मिलों से करायी जायेगी, जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत होंगी तथा जिनके द्वारा निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में जमा करा दी गयी हो ।

4(8)–जिन चावल मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व सरकारी/अर्द्व सरकारी विभागों/संस्थाओं/परिषदों/समितियों/राष्टीकृत बैंको की बकाया धनराशि है अथवा जिन मिलों/मिल मालिकों/भागीदारों/निदेशकों के विरूद्व अपराधिक/विभागीय मामले चल रहे है अथवा सरकारी नजूल भूमि पर अवैध धान मिल निर्मित किया गया है अथवा अन्य कोई सरकारी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया गया है, ऐसी मिल/मालिकों/भागीदारों/निदेशकों का धान कुटाई हेतु कदापि चयन नही किया जायेगा ।

4(9)–किराये पर चलाई जा रही ऐसी चावल मिलों को भी धान कुटाई हेतु इस शर्त के साथ दिया जायेगा जो चावल मिल के मूल मालिक एवम् दो अन्य प्रतिष्ठित चावल मिलों की गारन्टी उपलब्ध करायेगा जिस पर सम्बन्धित क्षेत्र के उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की स्पष्ट संस्तुति अंकित की जानी अनिवार्य होगी । क्रय धान की कुटाई हेतु चावल मिलों के चयन के समय सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की सुस्पष्ट संस्तुति भी प्राप्त की जायेगी ।

4(10)–धान की कुटाई हेतु संबधित संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय–केन्द्रो को चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि राज्य सरकार को परिवहन मद में कम से कम व्यय वहन करना पडे ।

4(11)–खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों से भिन्न धान का क्रय किसी भी केन्द्र पर कदापि नहीं किया जायेगा ।

6– <u>जिला खरीद अधिकारी का नामांकन</u> :–

जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की आवक की स्थिति का आकलन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा । जनपद में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपने जनपद में एक जिला खरीद अधिकारी भी नामित किया जायेगा। यह अधिकारी अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर का होगा जो खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में किसानों से समन्वय स्थापित करने तथा धान खरीद कार्य संचालन के प्रति उत्तरदायी होगा।

7–<u>क्रय केन्द्रों पर कॉटों तथा बॉटों का सत्यापन</u> :–

प्रत्येक मण्डी में कच्चा आढ़तिया द्वारा प्रयोग किये जाने वाले काँटे–बाट का सत्यापन, समय–समय पर नियमानुसार उनका निरीक्षण विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा किया जायेगा। समस्त वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक यह भी ध्यान रखेंगे कि कच्चा आढ़तिया द्वारा सही काँटे–बाट का ही प्रयोग किया जा रहा हो जिससे किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाये गये धान की सही तौलाई हो तथा उनका शोषण न होने पावे।

8–<u>क्रय एजेंसियों हेतु बोरे की व्यवस्था</u> :–

8(1) कच्चा आढ़तिया को धान क्रय हेतु नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ सम्भाग द्वारा खाद्य विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 मण्डियों में धान खरीद के लक्ष्य के अनुसार कच्चा आढ़तिया को केन्द्र प्रभारियों द्वारा उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. ।

8(2) वर्तमान में समस्त एस0बी0टी0 कुमायूँ सम्भाग में ही संग्रहीत हैं, ऐसी स्थिति में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल सम्भाग अपने सम्भाग की धान खरीद की सम्भावना के अनुरूप एस0बी0टी0 की माँग सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग से करेंगे, जिसे सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कुमायूँ सम्भाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

8(3) यदि वर्तमान में विभाग के पास उपलब्ध नये एस0बी0टी0 पूर्ण रूप से धान क्रय में प्रयुक्त हो जाते हैं तथा धान क्रय हेतु बोरों की कमी होती है तो कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स निर्धारित बी0आई0एस0 मानकों के नये एस0बी0टी0 की व्यवस्था सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक की स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त अपने स्तर से करना सुनिश्चित करेगें जिसका भुगतान आढ़तिया/चावल मिलर्स को भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 हेतु निर्धारित नये ए0बी0टी0 मूल्य पर खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

8(4) वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षकों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि किसी भी दशा में कच्चा आढ़तिया द्वारा धान क्रय हेतु एक बार प्रयोग किये गये अथवा अधोमानक (Sub Standard) बोरे प्रयोग में न लाये जायें । यदि किसी क्रय केन्द्र पर बोरों की गुणवत्ता की शिकायत प्राप्त होती है तथा एस0बी0टी0 अधोमानक पाये जाते हैं तो तो कच्चा आढ़तिया/चावल मिलर्स के विपत्रों से भारत सरकार के पत्र संख्या–15(2)/2013–Py.III दिनाँक 24–05–2013 में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कटौती सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

इसी प्रकार यदि कस्टम मिल्ड चावल के स्टेट पूल डिपो अथवा भारतीय खाद्य निगम डिपो पर बोरे अधोमानक (Sub Standard)पाये जाते हैं तो इसके लिये सम्बन्धित चावल मिलर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें तथा इसके मूल्य की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित चावल मिलर की सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक कार्यालय में विभाग के पक्ष में बन्धक प्रतिभूति से कर ली जायेगी। साथ ही प्रेषणकर्ता/प्राप्तकर्ता कार्मिक के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक /विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

09– <u>कच्चा आढ़तियों को धान के मूल्य का भुगतान</u> :–

09(1)– कच्चा आढतिया द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अन्तर्गत कृषकों से क्रय किये गये धान के मूल्य का भुगतान तत्काल किया जायेगा।

09(2)–खाद्य विभाग द्वारा कच्चा आढ़तियों के माध्यम से क्रय किये गये धान का भुगतान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैक से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही वित्त नियंत्रक, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। सी0सी0एल0 की स्वीकृति में विलम्ब होने की दशा में वित्त विभाग,उत्तराखण्ड शासन की सहमति से अग्रिम धनराशि खाद्य विभाग के लेखाशीर्षक "4408" से आहरित कर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारियों को उनकी मॉग पर उपलब्ध करायी जायेगी।

09(3)– कच्चा आढ़तिया द्वारा कृषकों को किये गये भुगतान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित केन्द्र के वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा ई–पेमेन्ट/एकांउट पेई चैक के माध्यम से की जायेगी।

09(4)–कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किया गया धान कुटाई हेतु वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक के माध्यम से चयनित चावल मिल को हस्तगत कराने उपरान्त भुगतान प्राप्त करने हेतु वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक को 9 आर (कच्चा आढ़तियों के बिल) पर बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसमें कृषकों से धान खरीद की पुष्टि हेतु 6 आर की स्वप्रमाणित छायाप्रति, कृषक को किये गये भुगतान, मण्डी शुल्क तथा व्यापार शुल्क के भुगतान के साक्ष्य संलग्न किये जाने अनिवार्य होंगे।

सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा प्राप्त विपत्रों का परीक्षण/पुष्टि करने के उपरान्त अपनी संस्तुति सहित इन्हे भुगतान हेतु सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा ।

सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी द्वारा केन्द्रों से विपत्र प्राप्त होने पर कच्चा आढ़तिया के पक्ष में विलम्बतम 01 सप्ताह में ई–पेमेन्ट/एकांउट पेई चैक के माध्यम से आयकर अधिनियम–1956 के अधीन सुसंगत नियमों के अधीन आयकर की कटौती कर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

09(5)–कच्चा आढ़तिया द्वारा धान खरीद के सम्बन्ध में किये गये हैण्डलिंग कार्य के व्यय की धनराशि के तदर्थ प्रासंगिक व्यय का भुगतान भी उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के अनुसार केन्द्र प्रभारी की संस्तुति पर सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा ई–पेमेन्ट/एकाउन्ट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में पूर्ववर्ती राज्य उ0 प्र0 के शासनादेश संख्या–पी0–382/29–खा0–5–99–5(5)/ 89,दिनॉक05 मई, 1999 इस संशोधन के साथ निर्धारित किया जायेगा कि धान की हैंण्डलिंग दरें प्रतिकुन्तल के स्थान पर प्रति 02 एसबीटी होगी।

09(6) खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 में धान क्रय–केन्द्र से चयनित चावल मिल तक धान का परिवहन कराने तथा धान की कुटाई उपरान्त निर्मित कस्टम मिल्ड चावल को स्टेट पूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक परिवहन कराने हेतु जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु अधिकृत किया जायेगा उसको ही क्रय धान/कस्टम मिल्ड चावल का संचरण कराने हेतु परिवहन ठेकेदार भी नियुक्त किया किया जायेगा।

09(7)–क्रय केन्द्रों से चावल मिल परिसर तक धान के परिवहन तथा चावल मिलों से स्टेटपूल/भारतीय खाद्य निगम डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का 08 किमी0 तक सम्प्रदान कराने का दायित्व चावल मिलर का होगा इस हेतु चावल मिलर को परिवहन दरों का भुगतान भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद 2014–2015 हेतु निर्धारित कुटाई/परिवहन दरों के अनुसार अनुमन्य होगीं । 08 किमी0 से अधिक दूरी के लिए जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु अनुमन्य स्थानीय परिवहन दरें तथा भारतीय खाद्य निगम की दरें,जो भी कम हों, चावल मिलर्स को अनुमन्य होगी ।

09(8)– कच्चा आढतिया को देय निर्धारित आढ़तिया कमीशन तथा हैण्डलिंग व्यय का भुगतान निर्धारित दरों पर नियमानुसार टीडीएस की कटौती करने उपरान्त सुनिश्चित किया जायेगा तथा कटौती की गई धनराशि को सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी (खाद्य) द्वारा सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

10– **<u>केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेख</u>** :–

केन्द्र पर वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे :–

(01) कच्चा आढ़तियों की सूची। (02) धान की क्वालिटी का विश्लेषण रजिस्टर।
(03) मूवमेन्ट चालान । (04) स्टाक रजिस्टर ।
(05) बोरा रजिस्टर । (06) बिल बुक ।
(07) निरीक्षण पंजिका । (08) रिजैक्सन पंजिका ।
(09) मिलवार धान प्रेषण एवम् चावल प्राप्ति पंजिका ।

11– **<u>चावल मिलर द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख</u>** :–

चावल मिलर को कुटाई हेतु खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा दिये गये धान के सम्बन्ध में निम्नलिखित अभिलेख अनिवार्य रूप से रखे जायेंगे:–

(01) धान प्राप्ति का स्टाक पंजिका ।
(02) धान कुटाई पंजिका ।
(03) बोरा पंजिका ।
(04) सी0एम0आर0 सम्प्रदान पंजिका ।

12–धान की बोरों में भराई सिलाई एवं स्टेन्सिलिगं :–

12(1) कच्चा आढ़तिया द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की मण्डियों में कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान को प्रति एस0बी0टी0 40 कि0ग्रा0 की दर से खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अथवा स्वयँ उपलब्ध कराये जाने वाले नये एस0बी0टी0 में उल्टा भरकर 12 टॉकों से मजबूत सुतली से सिलाई कर प्रत्येक बोरे पर खरीद वर्ष, भराई की तिथि, कच्चा आढ़तिया का कोड, जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रवार आवंटित किया जायेगा, धान का ग्रेड़ तथा भरते समय धान का वजन चटक रगं से स्टेसिलिंग कराया जायेगा, जिससे पढ़ने में सुविधा हो एवम् यह भी स्पष्ट हो सके कि उक्त धान किस कच्चा आढ़तिया द्वारा किस केन्द्र पर क्रय किया गया है।

चावल मिलर द्वारा उनकी मिल को प्रेषित किये गये धान की कुटाई करने के उपरान्त रिक्त हुये बोरों को सीधा करके कस्टम मिल्ड चावल भरा जायेगा तथा उसमें निर्धारित मिल का मार्का अंकित किया जायेगा। कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान किये जाने के उपरान्त चावल मिलर के पास बचने वाले अवशेष बोरे मिलर द्वारा खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग को वापस किये जायेंगे, जिसके पश्चात ही मिलर को धान की कुटाई के मूल्य तथा अन्य मदों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्र प्रभारी / मिल पर तैनात वरिष्ठ विपणन निरीक्षक / विपणन निरीक्षक इसके लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12(2)–कच्चा आढतिया द्वारा उपरोक्तानुसार सिलाई एवं स्टेसिंलिगं न करने पर खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा कच्चा आढ़तिया के विपत्रों से यथा स्थिति निम्न प्रकार कटौतियॉ की जायेगी :–

(अ) खराब सिलाई 12 टॉको से कम तथा खराब सुतली लगने पर 30 पैसे प्रति एस0बी0टी0 ।

(ब) स्टेंन्सिल न करने या खराब करने पर 45 पैसे प्रति एस0बी0टी0 ।

13–स्टेंसलिग हेतु रंगों का प्रयोग :–

खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में स्टेंसलिंग हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या–15(1)2012Py.III दिनॉंक 03–03–2014 द्वारा निम्नानुसार कलर कोडिंग निर्धारित की गयी है :–

धान श्रेणी	रंग
(क) कामन	नीला
(ख) श्रेणी "ए"	नीला

14–प्रचार प्रसार :–

मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत धान क्रय की व्यवस्था के सबंध में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मण्डी परिषद तथा संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र तथा अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा निःशुल्क व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जायेगा ताकि उत्तराखण्ड राज्य के कृषकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था की सही एवं पूर्ण जानकारी प्राप्त हो तथा उनका कोई उत्पीड़न न

कर सके। इसके अतिरिक्त उन्हें उनकी उपज का भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन लाभकारी मूल्य भी प्राप्त हो सके।

15–धान की आमद व बाजार भाव की समीक्षा :–

जिला स्तर पर जिलाधिकारी, उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा संभाग स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मण्डियों पर धान के बाजार भाव/आवक की नियमित समीक्षा की जायेगी। जिला स्तर पर जिला खरीद अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक प्रकोष्ठ की स्थापना कर कच्चा आढ़तियों द्वारा क्रय किये गये धान की स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जायगी। साथ ही धान क्रय के सबंध में प्राप्त शिकायतों पर भी तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

निदेशक, मण्डी परिषद प्रतिदिन स्थानीय मण्डियों में होने वाली धान की आवक एवं दैनिक बाजार भाव की सूचना सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण कक्ष एवं सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्यतः उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

संभागीय स्तर पर संभागीय खाद्य नियंत्रक/संभागीय विपणन अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा धान क्रय की केन्द्रवार नियमित समीक्षा की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न न हो। जहाँ भी धान के बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने की सूचना प्राप्त हो अथवा कृषकों द्वारा डिस्ट्रेस सेल की संभावना प्रतीत हो वहाँ तत्परतापूर्वक कच्चा आढ़तिया द्वारा धान की खरीद नियमानुसार सुनिश्चित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

खाद्यायुक्त स्तर पर धान खरीद एवम् निर्मित सी0एम0आर0 का नियमित अनुश्रवण मुख्य विपणन अधिकारी, खाद्यायुक्त कार्यालय (टेलीफोन/फैक्स संख्या 0135–2740778) द्वारा किया जायेगा, जो प्रतिदिन अपनी आख्या खाद्यायुक्त को तथा खाद्यायुक्त साप्ताहिक आख्या प्रमुख सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रत्येक मगंलवार को प्रस्तुत करेंगे ।

16–धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के निरीक्षण हेतु दायित्व :–

16(1)–प्रभावी एवं सुचारू रूप से धान खरीद सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक केन्द्र/चावल मिल को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक द्वारा अपने अधीन तैनात विपणन निरीक्षक के सीधे नियंत्रण व पर्यवेक्षण में सम्बद्ध किया जायेगा, जो प्रतिदिन संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगा और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक को देगा।

16(2)–वरिष्ठ विपणन निरीक्षक भी स्वयं चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा का सत्यापन करेगें और अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रेषित करेगें।

16(3)–उप सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं प्रत्येक पक्ष में चयनित राईस मिल के गोदाम में संग्रहीत राजकीय धान एवं उससे उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच करेगें और जाँच के उपरान्त अपनी पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेगें, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

16(4)–सम्भागीय विपणन अधिकारी स्वयं रेण्डम आधार पर 10 प्रतिशत चयनित चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा पाक्षिक रिपोर्ट सम्भागीय खाद्य नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी एक प्रति खाद्यायुक्त को प्रेषित की जायेगी।

16(5)–सम्भागीय खाद्य नियंत्रक भी चयनित मिल परिसर में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता एवं मात्रा की जाँच से सम्बन्धित रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे और उसकी मासिक रिपोर्ट खाद्यायुक्त को प्रेषित करेंगे।

16(6)–समय–समय पर अपने अधीनस्थ स्टॉफ से रिपोर्ट न मिलने पर या अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में उससे उच्च अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह तत्काल चयनित मिल या वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाली मिल में भण्डारित संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल के स्टॉक की आकस्मिक जाँच करें तथा उसकी रिपोर्ट प्रेषित करें।

16(7)– मुख्य विपणन अधिकारी,उत्तराखण्ड भी समय–समय पर क्रय केन्द्रों एवम् चावल मिलों में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करेगें तथा अपनी रिपोर्ट खाद्य आयुक्त को उपलब्ध करायेगें ।

16(8)–चयनित मिल में संग्रहीत राजकीय धान एवं उत्पादित कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक की जाँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चावल मिल के स्टॉक की क्रॉस चैकिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एक केन्द्र/जिले के स्टॉफ को दूसरे केन्द्र/जिले में भेजकर रैण्डम आधार पर समय–समय पर चावल मिल में संग्रहीत राजकीय धान एवं कस्टम मिल्ड चावल की गुणवत्ता व स्टॉक का सत्यापन करायेंगे।

17–<u>खरीदे गये धान का निस्तारण</u> :–

कच्चा आढ़तिया द्वारा क्रय किये गये धान का निस्तारण दो विकल्पों के आधार पर किया जायेगा :–

(1) क्रय किये गये धान को चावल मिलों से कुटाई कराकर निर्मित चावल का सम्प्रदान विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली के अन्तर्गत निर्दिष्ट स्टेट पूल डिपो में किया जायेगा। स्टेटपूल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अवशेष सी0एम0आर0 का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

अथवा

(2) क्रय किये गये धान को इसी रूप में ही राज्य में स्थापित किसी चावल मिल को विक्रय जा सकता है। चावल मिलों को विक्रय किये गये धान पर चावल मिलर से कोई लेवी नही ली जायेगी, परन्तु इससे निर्मित चावल पर चावल मिलों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक लेवी वसूल की जायेगी ।

कच्चा आढ़तिया के माध्यम से खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 में निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्रय किये गये धान से निर्मित सी0एम0आर0 का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा।

18–धान की कुटाई हेतु विपणन निरीक्षक/वरिष्ठ विपणन निरीक्षक के दायित्व :–

वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक सम्बन्धित चावल मिलों में धान/कस्टम मिल्ड चावल के स्टाक की नियमित रूप से जाँच करते रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करते रहेंगे कि चावल मिलर्स को राज्य सरकार द्वारा कुटाई हेतु दिया गया धान चोरी अथवा खुर्द–बुर्द न होने पावे। इस हेतु वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक निरंतर अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में पडने वाली ऐसी चावल मिलों का निरीक्षण करेंगे, जिन्हें राजकीय धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया गया है। किसी भी अनियमितता होने की दशा में सम्बन्धित चावल मिलर्स के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा सूचना तत्काल उपसम्भागीय विपणन अधिकारी तथा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक को प्रेषित की जायेगी । सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा भी दोषी चावल मिलर के विरूद्व अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

19–कच्चा आढ़तिया द्वारा खरीदे गये धान की कस्टम हलिंग :–

19(1) धान की कुटाई के लिए सम्भाग स्तर पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक वरिष्ठ विपणन निरीक्षक एवम् उपसम्भागीय विपणन अधिकारी की संस्तुति पर केन्द्रवार चावल मिलर्स का चयन करेंगे एवं उसी चावल मिलर को क्रय धान कुटाई हेतु देने का निर्णय लेगें जो कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक कार्यालय में पंजीकृत होगा। इस हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित क्षेत्र के उप सम्भागीय विपणन अधिकारी से अपेक्षित सहायोग प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

19(2) क्रय केन्द्रों पर कच्चा आढतिया के माध्यम से क्रय किया गया धान चावल मिलों को उनकी केन्द्रवार संख्या तथा कुटाई क्षमता एवम् गत वर्षों में की गयी धान की कुटाई व साख के अनुसार सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा आवटिंत किया जायेगा ।

19(3) धान की कुटाई के लिए संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा केन्द्रो को सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक की अधिकारिता क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों से इस प्रकार सम्बद्व किया जायेगा कि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार देना पडे। इसी प्रकार चावल मिलों को भी दूरी के आधार पर निकटतम स्टेटपूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो से सम्बद्ध किया जायेगा, ताकि परिवहन मद में कम से कम व्यय भार पड़े। कुटाई कराने से पूर्व प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इच्छुक चावल मिल मालिकों से धान की कुटाई हेतु, भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर मिलिंग क्षमता के अनुसार, ऑफर प्राप्त किये जायेंगे।

19(4) चावल मिलर को कुटाई हेतु उपलब्ध कराये गये राजकीय धान से निर्मित होने वाले कस्टम मिल्ड चावल की प्राप्ति, धान दिये जाने की तिथि से अधिकतम् 15 दिन में खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा । यदि कोई चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल देने में विलम्ब करता है तो सम्बन्धित वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक द्वारा इसकी सूचना तत्काल उपसम्भागीय विपणन अधिकारी को दी जायेगी ।

19(5) सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय धान की कुटाई हेतु नियुक्त चावल मिर्लस से **परिशिष्ट–01** पर संलग्न प्रारूप पर अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा। जिस चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, वह राज्य सरकार को अपनी चावल मिल की कुटाई क्षमता के अनुसार विभाग के साथ सम्पादित किये जाने

वाले अनुबन्ध के आधार पर एक सप्ताह के अन्दर निम्न सारणी में अंकित धनराशि की एफ0डी0आर0 प्रतिभूति के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत की गयी हो तथा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के नामे बंधक हो, उपलब्ध करायी जानी अनिवार्य होगी :–

क्रमांक	धान मिल की कुटाई क्षमता	प्रतिभूति की धनराशि
1.	1/2 टन से 01 टन क्षमता तक	₹ 2.00,000
2.	01 टन से अधिक लेकिन 02 टन तक	₹ 4,00,000
3.	02 टन से अधिक लेकिन 04 टन तक	₹ 6,00,000
4.	04 टन से अधिक लेकिन 06 टन तक	₹ 8,00,000
5.	06 टन से अधिक	₹ 10,00,000
6.	पट्टे/किराये पर संचालित चावल मिल	₹ 15,00,000

19(6)उपरोक्त के अतिरिक्त जिन चावल मिलर्स को क्रय केन्द्रों से जितनी मात्रा में राजकीय धान कुटाई हेतु उपलब्ध कराया जायेगा, उनसे उतनी धान की मात्रा के मूल्य के बराबर की धनराशि बैंक गारंटी के रूप में सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पक्ष में जमा करायी जानी आवश्यक होगी। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक सम्बन्धित बैंक से बैंक गारंटी की तथ्यात्मक पुष्टि कराये जाने के पश्चात ही चावल मिलर को धान कुटाई हेतु उपलब्ध करायेंगे। चावल मिलर्स द्वारा राजकीय धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान राज्य सरकार को कर दिये जाने के उपरान्त यदि उन पर कोई विभागीय देयता (सी0एम0आर0/बोरा) शेष नहीं रहती है तो वरिष्ठ विपणन निरीक्षक की संस्तुति पर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा बैंक गारंटी/प्रतिभूति चावल मिलर्स के पक्ष में अवमुक्त कर दी जायेगी।

19(7) यदि कोई चावल मिलर सम्भागीय खाद्य नियंत्रक के पक्ष में धान के मूल्य के बराबर धनराशि की बैंक गारंटी जमा कराने में असमर्थता व्यक्त करता है तो उसे कुटाई हेतु तभी आनुपातिक आधार पर धान दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जब चावल मिलर द्वारा अग्रिम रूप से स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में चावल का सम्प्रदान करने हेतु खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग को चावल उपलब्ध करा दिया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियंत्रक स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में अग्रिम चावल उपलब्ध करा दिये जाने की वरिष्ठ विपणन निरीक्षक की संस्तुति उपरान्त ऐसे चावल मिलर को धान आवंटन करने के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु अधिकृत होगें।

19(08) चावल मिलों को उपलब्ध कराया गया धान/ कस्टम मिल्ड चावल सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा किसी बैंक अथवा संस्था में बन्धक नहीं रखा जायेगा । यदि इस प्रकार की जानकारी संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित चावल मिलर के विरूद्व तत्काल विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उसे काली सूची में डालने की कार्यवाही भी सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

19(09) धान की कुटाई हेतु चावल मिलों का चयन चावल मिलों से स्टेट पूल डिपो/भारतीय खाद्य निगम डिपो की दूरी को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा। सामान्यतः किसी चावल मिल को उसकी 25 से 30 प्रतिशत तक की कुटाई क्षमता के अनुरूप ही कुटाई हेतु धान उपलब्ध कराया जायेगा।

19(10) कुटाई के लिए धान से निर्मित चावल की रिकवरी भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अरवा के लिए 67 प्रतिशत तथा सेला के 68 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

19(11) कुटाई के लिए चुनी गई चावल मिल द्वारा मिल परिसर में राजकीय धान की कुटाई तथा स्वयँ क्रय किये गये धान एवम् इसकी कुटाई से सबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे, ताकि निरीक्षण/ सत्यापन के समय स्टाक सत्यापित किये जाने पर किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे । इसी प्रकार केन्द्रो पर भी कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान और प्राप्त कस्टम मिल्ड चावल से संबंधित अभिलेख पृथक–पृथक रखे जायेंगे ।

19(12) धान की कुटाई से सबंधित सूचना उप संभागीय विपणन अधिकारी/ सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिदिन फैक्स के माध्यम से खाद्य विभाग के जनपदीय/सम्भागीय/खाद्य आयुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियत्रण कक्ष को प्रेषित की जायेगी।

20– **सी0एम0आर0 का सम्प्रदान** :–

20(1)–सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल डिपो पर लेवी चावल की ही भाँति चावल मिलर्स द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में किया जायेगा, यदि स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में प्रेषित किया गया कस्टम मिल्ड चावल भारत सरकार द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टियों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तथा प्राप्तकर्ता डिपो प्रभारियों द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाता है तो चावल मिलर द्वारा कस्टम मिल्ड चावल का प्रतिस्थापन लॉट लेवी योजनान्तर्गत अपने अवशेष लेवी अंश से पुनः स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किया जायेगा और ऐसी स्थिति में चावल मिलर को परिवहन/हैण्डलिंग मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि चावल मिलर कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान करने में असमर्थ रहता है अथवा कस्टम मिल्ड चावल राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं कराया जाता तो उतना कस्टम मिल्ड चावल निर्मित करने में प्रयुक्त हुये धान का मूल्य, नये एस0बी0टी0 का मूल्य तथा अन्य व्ययों की वसूली सम्बन्धित चावल मिलर्स द्वारा सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक के पक्ष में जमा करायी गयी प्रतिभूति से सुनिश्चित की जायेगी।

20(2)–न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा आढ़तिया के माध्यम से क्रय किये गये धान से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का सम्प्रदान स्टेटपूल/केन्द्रीय पूल में अनिवार्यतः दिनाँक 30–04–2014 तक पूर्ण कर लिया जाये।

21–**धान के कुटाई से निर्मित कस्टम मिल्ड चावल का भण्डारण** :–

विकेन्द्रीकृत योजना के अर्न्तगत स्टेटपूल में कस्टम मिल्ड चावल की मात्रा का भण्डारण खाद्यायुक्त द्वारा निर्दिष्ट/आरक्षित विभागीय गोदामों, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम से किराये पर लिये गये गोदामों में संग्रहीत कराया जायेगा। कस्टम मिल्ड चावल के भण्डारण में चावल की गुणवत्ता एवम् संग्रहीत स्टाक की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित संग्रह ऐजेन्सियॉ क्रमशः खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज्य भण्डारण

निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। संग्रहण ऐजेन्सियों द्वारा कस्टम मिल्ड चावल एवम् लेवी चावल का लेखा–जोखा पृथक–पृथक रखा जायेगा ।

राज्य में स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज्य भण्डारण निगम एवम् केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रत्येक गोदाम में जहाँ स्टेटपूल योजना का कस्टम मिल्ड चावल संग्रहीत किया जायेगा, वहाँ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की विपणन शाखा का स्टॉफ तैनात किया जायेगा, जो चावल की मात्रा एवम् उसकी गुणवत्ता की जाँचोपरान्त चावल का स्टाक प्राप्त करेगा और पुनः उसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0/बी0पी0एल0/अन्त्योदय अन्न योजनाओं में निर्गमन करेगा । खाद्यायुक्त/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगें कि जिस वरिष्ठ विपणन निरीक्षक/विपणन निरीक्षक की तैनाती धान क्रय–केन्द्र पर होगी उसे कदापि स्टेटपूल डिपो पर तैनात नहीं किया जायेगा।

22–<u>कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन</u> :–

चावल मिल से स्टेट पूल डिपो तक कस्टम मिल्ड चावल का परिवहन सम्बन्धित चावल मिलर द्वारा सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा निर्गत मूवमेन्ट प्रोग्राम के आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा खरीफ–खरीद सत्र 2014–15 हेतु स्वीकृत परिवहन दरों के आधार पर किया जायेगा। परिवहन व्यय के आकलन हेतु सम्बन्धित चावल मिल से स्टेट पूल संग्रह डिपो तक, उप सम्भागीय विपणन अधिकारी द्वारा सत्यापित दूरी अनुमन्य होगी। सी0एम0आर0 के सम्प्रदान हेतु सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम जारी किया जायेगा।

सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा मिलवार/डिपोवार संचरण प्रोग्राम निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक वरिष्ठ विपणन निरीक्षक से उसके कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली चावल मिलों में निर्मित कस्टम मिल्ड चावल की सूचना प्राप्त की जायेगी। तद्नुसार ही संचरण प्रोग्राम निर्गत किया जायेगा।

23–<u>क्रय केन्द्रो के संचालन एवम् अनुश्रवण हेतु स्टेशनरी, पी0ओ0एल0 एवम् अन्य मदों हेतु व्यवस्था</u> :–

खाद्य विभाग की विपणन शाखा द्वारा स्थापित क्रय–केन्द्रो पर खरीफ–खरीद सत्र 2014–2015 के लिए स्टेशनरी, क्रय–केन्द्रों के निरीक्षणार्थ पी0ओ0एल0, सरकारी गोदाम उपलब्ध न होने पर किराये के गोदाम लिया जाना, हैण्डलिगं परिवहन दरों का निर्धारण, कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए मानदेय, बोरो की आपूर्ति, धान का मूल्य भुगतान करने हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन एवं अन्य जो भी व्यवस्था खरीददारी के हित में आवश्यक होगी, उस पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी । स्टेशनरी, पी0ओ0एल0, टेलीफोन, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार आदि के खर्च भी लेखाशीर्षक "4408–खाद्य–101–खरीद और पूर्ति–03–अन्नपूर्ति योजना–31–सामग्री तथा सम्पूर्ति " से नियमानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के तहत वहन किया जायेगा ।

24–खाद्य नियंत्रण कक्ष एवम् खरीद के आँकडों का प्रेषण :–

राज्य स्तर पर धान खरीद की स्थिति के अनुश्रवण एवम् समीक्षार्थ खाद्य नियंत्रण कक्ष, आयुक्त, खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति विभाग, 8–ए बंगाली मोहल्ला, करनपुर, देहरादून उत्तराखण्ड के कार्यालय में स्थापित किया जायेगा, जो दिनाँक 01 अक्टूबर, 2014 से कार्यशील रहेगा। जनपदस्तर पर तथा संभाग स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष खोले जायेंगे। धान खरीद से संबधित एजेन्सीवार एवं जनपदवार सूचना संबधित जनपद के जिला खरीद अधिकारी/उप सम्भागीय विपणन अधिकारी/सम्भागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा प्रतिदिन फैक्स के माध्यम से खाद्य नियंत्रण कक्ष को निर्धारित प्रारूप **(परिशिष्ट–2)** में प्रेषित की जायेगी। नियत्रण कक्ष का टेलीफोन/ फैक्स न0– 0135–2740778 है ।

संलग्नकः उपर्युक्त।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या /14–XIX-2/खरीफ–खरीद/02 खाद्य/2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
2– अनु सचिव, उपभोक्ता मामलें खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
4– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
5– प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
6– प्रभारी सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7– मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँयू मण्डल, नैनीताल ।
8– महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड।
9– क्षेत्रीय प्रबन्धक, राज्य/केन्द्रीय भण्डारण निगम, उत्तराखण्ड।
10– निजी सचिव, मा0 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी उत्तराखण्ड के संज्ञान में लाने हेतु प्रेषित।
11– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
12– वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
13– नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तराखण्ड ।
14– उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, कुमायूँ सम्भाग/गढवाल सम्भाग, हल्द्वानी/देहरादून।
15– सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी, गढवाल सम्भाग/कुमाँयू सम्भाग ।
16– एनआईसी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट),
उप सचिव।